

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

क्र./ ११ /नग्रानि/2020

इंदौर, दिनांक 11.01.21

प्रति,

सचिव/सरपंच,
ग्राम पंचायत भांग्या,
तहसील-सांवेर व जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय: ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर व जिला इन्दौर के सर्वे क्र. 86/1, 86/2, 86/4, 87/1, 87/2 व अन्य कुल रकबा 9.381 हेक्टेयर पर स्वीकृत आवासीय अभिन्यास अनुसार विकसित शंखेश्वर सिटी कॉलोनी में स्थित भूखण्ड क्र. ए-17, कुल क्षेत्रफल 1284.38 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भवन (पी+6) निर्माण की अनुज्ञा बाबद।

संदर्भ : आवेदन पत्र क्र. ९५, दिनांक 07.01.21

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक में. बिल्टवेल रियलिटी तर्फ श्री जयेश अग्रवाल, श्री मनीष कुमावत एवं श्री दिनेश कुमावत, इंदौर द्वारा ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर व जिला इन्दौर के सर्वे क्र. 86/1, 86/2, 86/4, 87/1, 87/2 व अन्य कुल रकबा 9.381 हेक्टेयर पर स्वीकृत आवासीय अभिन्यास अनुसार विकसित शंखेश्वर सिटी कॉलोनी में स्थित भूखण्ड क्र. ए-17, कुल क्षेत्रफल 1284.38 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भवन (पी+6) निर्माण अनुमति के संबंध में प्रस्तुत आवेदन एवं मानचित्र आपके संदर्भित पत्र द्वारा तकनीकी परीक्षण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में तकनीकी परीक्षण उपरांत संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये संशोधन अनुसार विषयांकि भूखण्ड पर अनुज्ञा जारी करने के संबंध में निम्नलिखित तकनीकी एवं नियोजन मापदण्डों तथा शर्तों का पालन करते हुए एवं अन्य अपेक्षित औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के उपरांत (पी+6) भवन निर्माण निम्न अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

1. आवेदक से विधिवत भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा करवाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क जमा करना आवश्यक हो तो आवश्यक रूप से जमा करवाया जावे।
2. भवन निर्माण भूकम्परोधी तकनीक अनुसार करना होगा।
3. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के ज्ञाप क्र. 6793 दिनांक 01.10.2011 में आरोपित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

उपयंत्री
कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

// 2 //

5. भवन निर्माण मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे :-

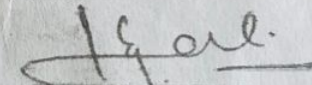
पी+6 भवन हेतु मापदण्ड :- अधिकतम भू-तल क्षेत्र 30 प्रतिशत, एम.ओ.एस.(मीटर में) अग्र 7.50 पार्श्व 6.0, आजू 6.0 एवं बाजू 6.0, एफ.ए.आर. 1:1.299 तथा भवन की ऊंचाई 18.0 मीटर।

6. निर्माण कार्य दौरान जनसुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक अनुसार उपाय सुनिश्चित करवाना होगा।
7. पार्किंग क्षेत्र में पार्किंग के अलावा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकेंगे। पार्किंग क्षेत्र में म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार आवश्यक कुल 16 कारों का प्रावधान करना होगा। इसका परीक्षण कर नियमानुसार पार्किंग प्रावधान सुनिश्चित कराया जावे।
8. मानचित्र में प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु फायर एन.ओ.सी. की शर्तों में उल्लेखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
9. मार्ग विस्तार से प्रभावित भूमि के बदले म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता मार्ग से प्रभावित भूमि क्रियान्वयन संस्था को निःशुल्क समर्पित करने के उपरांत होगी।
10. संलग्न मानचित्र अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जायें तथा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
11. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
12. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व विवाद होने, गलत जानकारी देने या उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में इस कार्यालय का उक्त तकनीकी मार्गदर्शन स्वमेव प्रभाव शून्य माना जावेगा।

संलग्न- अनुसूचित नक्शों की प्रति।


5/6

उप यंत्री
कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, इन्दौर


सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला-इन्दौर